प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 24.07.2024

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा महिला की गुमशुदगी /अपहरण की घटना का अनावरण व एक अभियुक्त गिरफ्तार तथा घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

दिनांक 22.07.2024 को वादिया द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें वादिया की बहन पूजा को अभियुक्त द्वारा अपहरण कर ले जाने की सूचना पर थाना विजयनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण –

घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया सभी टीमों द्वारा अभियोग में तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना, सर्विलांस एंव अन्य पूछताछ के आधार पर दिनांक 24.07.2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त आलम को कार्बन फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

मौहम्मद आलम पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम गोदी देहात जनपद हापुड़ उम्र 35 वर्ष।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि पूजा मेरे साथ लगभग चार वर्ष से लव इन रिलेशन में रह रही थी। मैने करीब 06 माह पूर्व पूजा से निकाह कर लिया था। पूजा के पहले पति टीटू से तीन बच्चे थे। उसके बाद वह मेरे साथ रहती थी। मेरी भी पहले से शादी हो रखी है मेरी पत्नी का नाम शना है मेरी पत्नी शना से मुझे चार बच्चे है। जिसमें मेरा एक लड़का जिब्राल उम्र लगभग 4 वर्ष जो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था। जिसका ईलाज मैं फैमली मेडिकेयर सेंटर मैन रोड मसूरी गाजियाबाद में करा रहा था। मैने पूजा को अपने साथ सैक्टर -09 निकट चिंलड्रन अकेदमी स्कूल गाजियाबाद में रख रखा था। वह कहती थी कि तुम मेरे साथ रहो तुम अपनी पत्नी शना को छोड दो उसके साथ मत रहो। इस बात को लेकर मेरा पूजा से अकसर विवाद होता रहता था। एक दिन उसका मेरे पास फोन आया और उसने मुझसे कहा कि तुम घर आ जाओं मैने कहा कि मेरा लड़का हास्पिटल में भर्ती है मैं नही आ सकता हूं। इस पर पूजा गुस्सा होकर कहने लगी कि मैं कई दिनों से बीमार चल रही हूं मुझे देखने के लिये तू नही आया और अपने लड़के को देखने के लिये हास्पिटल में चला गया । मैं अभी वही हॉस्पिटल में आ रही हूं और वहीं आकर तेरा ईलाज करती हूं। मैने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नही मानी जिससे मुझे भी गुस्सा आ गया और मैने इरादा कर लिया कि आज इसका काम तमाम कर दूंगा इसके बाद मैने पूजा को हॉस्पिटल से कुछ पहले ही सेन्ट्रो कार नम्बर DL2CA9934 में बैठाकर मसूरी नहर से देहरा झाल की तरफ लेकर चल दिया तथा रास्ते में हमारी आपस में लड़ाई होती रही। मैने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नही मानी । मौका देखकर मैने उसकी चुन्नी से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी तथा उसके शव को कार में लेजाकर ग्राम नगला चौना के नहर पुल से नहर में डालकर भाग आया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम।

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना कोतवाली के अभियोग में माननीय न्यायालय से जारी गैर जमानती वारण्ट मे वाँछित एंव रू0 25,000/- का ईनामी अपराधी गिरफ्तार

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-24/07/2024 को थाना कोतवाली गाजियाबाद के वर्ष 2007 के अभियोग में माननीय न्यायालय से जारी गैर जमानती वारण्ट में फरार शातिर अभियुक्त आबिद को रेलवे फाटक के पास फ्लाई

ओवर के नीचे थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी। अभियुक्त आबिद माननीय न्यायालय मे पिछले 05 वर्षो से हाजिर नही हुआ एवं लगातार फरार चल रहा था , जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्तनगर जोन द्वारा दिनांक-14/06/2024 को रू0 25,000/-का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अवगत कराना है कि दिनाँक-30/06/2007 को को अभियुक्त आबिद उपरोक्त ने अपने सहअभियुक्त निजाम निवासी जेवर जनपद-गौतमबुद्धनगर के साथ मिलकर गऊशाला पानी की टंकी के पास थाना क्षेत्र कोतवाली में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया था जिसमे दोनो अभियुक्त मय असलहो के गिरफ्तार कर जेल भेजे गये थे। उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय में ट्रायल चल रहा था जिसमें सह अभियुक्त निजाम को सजा हो चुकी है इसी कारण अभियुक्त आबिद उपरोक्त माननीय न्यायालय मे हाजिर नही हुआ और फरार हो गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह 5वीं पास है फल की फेरी करने का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था जिसमे ज्यादा अमदनी नही थी, तो निजाम के साथ मिलकर अपराध करने लगा इसी बीच वर्ष 2007 में पुलिस मुठभेड में थाना क्षेत्र कोतवाली जनपद-गाजियाबाद मे गिरफ्तार हो गया था। माननीय न्यायालय से जमानत के बाद अपने मूल निवास स्याना जनपद-बु0शहर चला गया था। उक्त पुलिस मुठभेड के अभियोग का ट्रायल गाजियाबाद कोर्ट में चल रहा था जिसमें आबिद को यह लग रहा था कि उसको सजा हो जाएगी तो आबिद ने कार्ट आना बन्द कर दिया आबिद के साथी निजाम को सजा होने के बाद से ही वह घर से फरार हो गया था   और जगह बदल-बदल कर रहने लगा इस बीच उसने कई जगह मजदूरी और फेरी लगाने का काम किया और फरारी काट रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

आबिद पुत्र मुकर्रम निवासी पूडावाला चौक कस्बा व थाना स्याना जनपद-बुलन्दशहर उम्र करीब 37 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त आबिद के विरूद्ध गाजियाबाद में 02 अभियोग पंजीकृत है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- अभियुक्त पूर्व से वाद संख्या-727/14 मु0अ0सं0-411/2007धारा-307 भादवि व 413/2007 धारा-25 ए.एक्ट थाना कोतवाली पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद का वाँछित एंव रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय से जारी गैर जमानती वारण्ट मे वांछित एवं रू0 25,000/- का ईनामी अपराधी गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 23/07/2024 को वर्ष 1991 के अभियोग में माननीय न्यायालय से जारी गैर जमानती वारण्ट में फरार शातिर अभियुक्त नीलू पुत्र मोहनलाल निवासी मूल पता गुसायी वाली गली हरिद्वार हाल पता रमेश का मकान म0न0-10 मोहल्ला डाकखाना वाली गली रमतेराम रोड थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद को रेलवे स्टेशन रोड थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नीलू माननीय न्यायालय मे हाजिर नही हुआ एवं लगातार फरार चल रहा था , जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त नगर जोन द्वारा दिनांक-03/07/2024 को रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

नाम पता अभियुक्त

नीलू पुत्र मोहनलाल निवासी मूल पता गुसायी वाली गली हरिद्वार हाल पता रमेश का मकान म0न0 10 मोहल्ला डाकखाना वाली गली रमतेराम रोड थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र 59 वर्ष

पूछताछ का विवरण-गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि वर्ष 1991 मे मेरे विरुद्ध मारपीट का अभियोग पंजीकृत किया गया था मुझे पता चला कि मेरे विरुद्ध वारण्ट निकल गया है तो गिरफ्तारी से बचने के लिये हरिद्वार मे रह रहा था।

आपराधिक इतिहास

कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 01 अभियोग मारपीट का पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

दुष्प्रेरक के अभियोग में फरार चल रहे अभियुक्तों पर 25000-25000 रूपये का इनाम घोषित।

दिनांक 1 4-07-24 को वादी श्री गौरव त्यागी पुत्र श्री श्रद्धा राम त्यागी निवासी- 1/25 A, हरिनगर घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरी बहन शिवानी त्यागी पुत्री श्री श्रद्धा राम त्यागी निवासी उपरोक्त द्वारा AXIS BANK में SALES EXECUTIVE की नौकरी में प्रताडना से तंग आकर आत्महत्या कर ली है, मेरी बहन द्वारा कम्पनी में त्याग-पत्र कम्पनी से मांगा गया था, परन्तु BANK द्वारा उसका त्याग-पत्र स्वीकृत नही किया गया, बल्कि गलत तरीके से मेरी बहन को टरमिनेट कर दिया गया गया, प्रताडना से प्रताडित होकर मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली,

उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम वादी की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत की गया था, जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा तीन अभियुक्तगण (1) मोहम्मद अकरम पुत्र लियाकत हुसैन निवासी महमूदपुर माफी, तहसील बिलारी थाना मैना ठेर जिला मुरादाबाद (SALES MANAGER- AXIS BANK) (2) गुन्जन पत्नी सुभाष चंद निवासी म0नं0 10 गली नं 1 ग्राम सलारपुर थाना सै039 नौएडा गौतमबुद्धनगर (3) गिरजा देवी उर्फ पूजा सिंह पत्नी त्रिलोक सिंह नि0 75/13 आई-ब्लाक जैदपुर बदरपुर थाना जैदपुर दिल्ली को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है तथा गिरफ्तारी को शेष अभियुक्तगण (1) ज्योति चौहान पत्नी सतीश निवासी ग्राम रायपुर थाना सैक्टर 39 गौतमबुद्धनगर (2) नजमुश शाकिब पुत्र नजमुज्जमा निवासी 54 डी सेन्चुरी अपार्टमेन्ट सैक्टर-100 गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध एन0बी0डब्लू प्राप्त किये गये है। अभियुक्तगण ज्योति चौहान व नजमुश शाकिब विरुद्ध दिनांक 24-07-2024 को 25000-25000 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया है।

वांछित/इनामी अभियुक्त का नाम पता-

(1) ज्योति चौहान पत्नी सतीश निवासी ग्राम रायपुर थाना सैक्टर 39 गौतमबुद्धनगर

(2) नजमुश शाकिब पुत्र नजमुज्जमा निवासी 54 डी सेन्चुरी अपार्टमेन्ट सैक्टर-100 गौतमबुद्धनगर

अभि0गण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर दुष्प्रेरक से संबंधी अभियोग पंजीकृत है।